

डिक्री एवं मुकदमे ईबादाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक क्लैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह उर्फ काका सिंह जाति जटसिख सा नुकेरा तह.
संगरिया जिला हनुमानगढ़.

वादी

बनाम

1 जंगीर कौर पत्नि सज्जन सिंह
2 मलकीत सिंह
3 नक्षत्र सिंह | पि. सज्जन सिंह
4 बलजीत सिंह
5 चरणजीत कौर पत्नि अमरजीत सिंह
6 सुच्चा सिंह
7 निर्मल सिंह | पुत्र/पुत्रीया अमरजीत सिंह
8 कुलदीप कौर
9 कुलवन्त कौर पत्नि ठाणा सिंह
10 राजदीप सिंह पुत्र ठाणा सिंह
शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. बैंक नुकेरा तह. संगरिया
शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक संगरिया तह. संगरिया
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

जाति जटसिख सा नुकेरा
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़.

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू - अधिवक्ता वादी

श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल - अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 10

मु. स. 127/2018 , दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादी व श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल एड. प्रति स. 1 ता 10 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रति स. 1 ता 10 डिक्री किया जाता है कि वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक व प्रति स. 1 ता 10 का खाता काउण्टर क्लेम की दफा 7 के अनुसार अलग-2 कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे। दावा की दफा 3 व काउण्टर क्लेम की दफा 7 निम्नप्रकार से है:-

वादी जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह उर्फ काका सिंह का हिस्सा:-

चक 2 एन.के.आर.

153/142 13 2 / .228प्र. ,9-12-19-22 / .253 गै.मु. / .025
=1.265है



सहायक क्लैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रति स. 1 ता 8 क्रमशः जंगीर कौर पत्नी सज्जन सिंह, मलकीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह, बलजीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह, चरणजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह, सुच्चा सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, निर्मल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, कुलदीप कौर पुत्री अमरजीत सिंह के हिस्सा की आराजी:-

चक 2 एन.के.आर. खाता स. 77 / 19

153/141 10 2/.177 9-12-19-22-23/.253प्र

154/142 14 2/1/.228 2/2/.025 3/1/.228 3/2/.025

4/1/.228 4/2/.025 8-9/.253प्र

प्रति स. 9 व 10 क्रमशः कुलवन्त कौर पत्नी ठाना सिंह, राजदीप सिंह पुत्र ठाना सिंह का हिस्सा:-

चक 2 एन.के.आर. खाता स. 77 / 19

153/143 22 2/1/.228 2/2/.025 9-12-19-22/.253प्र

153/144 25 2/1/.228

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक.....20.6.2024..... को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कोषाध्यक्ष एवं
उपखण्ड अधिष्ठाता संगरिया
संगरिया